**कार्यालय नगर निगम, मुंगेर**
**पत्रांक** 9565/

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक 16/11/17

विषय– नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–1722/2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–1722/2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नकः–यथोवत।

विश्वासभाजन
16/XI/17
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

# कार्यालय नगर निगम, मुंगेर

पत्रांक..........................

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक..........................

विषय:— नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—1722 / 2015—16 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—1722 / 2015—16 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नक:—यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापांक..............................दिनांक..............................

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त 16/2/18
नगर निगम, मुंगेर।

16/2/18

कार्यालय नगर निगम, मुंगेर
पत्रांक..........................

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक..........................

विषय– नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–1722 / 2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में नगर निगम, मुंगेर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–1722 / 2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नक:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/x/18

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

16/11/18

ज्ञापांक..............................दिनांक..............................
प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/x/18

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

16/11/18

कार्यालय नगर निगम मुंगेर

अनुपालन प्रतिवेदन A/R No- 1722 वर्ष 2015–16

| क | | Brief of Pura | Reply of office |
|---|---|---|---|
| | 12 (क) | बजट प्राक्कलन में अत्याधिक विचलन<br><br>(ख) बजट प्राक्कलन बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं | (क)अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम मुंगेर द्वारा वित्तीय विवरण एवं तुलनात्मक पत्र का संधारण कर लिया गया है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जनहित में बजट प्रावधान के विरूद्ध आय तथा व्यय किया गया है। भविष्य में अनुपालन हेतु अंकित किया गया है नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 लोक लेखा समिति का गठन कर लिया गया है। एवं समिति द्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा की जा रही है। गठन की प्रति संलग्न है।<br>(ख) बजट प्राक्कलन बनाने में वार्ड समिति , वार्ड सभा राय की भी मांगी जाती है। साथ ही बजट पर सुझाव देने के लिए नागरिकों से समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कर सुझाव की मांग की जाती है। छायाप्रति संलग्न |
| | 13 | वित्तीय अधिदृश्य | अनुपालन का बिन्दु नहीं है। |
| | 14 | रोकडबही एवं बैंक खातों के अंतशेष का विवरण | अनुपालन का बिन्दु नहीं है। |
| | 15 | वार्षिक लेखा का संधारण नहीं | वित्तीय विवरण एवं वार्षिक लेखा , संधारण की कार्रवाई की जा रही है। |
| | भाग –2 क–1 | मोबाईल टावर पंजीकरण /नवीकरण शुल्क की वसूली में उदासीनता के कारण राजस्व की हानि | नगर निगम मुंगेर द्वारा संचार मीनारों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर लिया गया है जहाँ तक नवीकरण एवं वसूली का संबंध है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना में विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनी द्वारा याचिका दायर की गयी है। इस कारण नवीकरण एवं वसूली नहीं हुई है। जिन मोबाईल कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं की गयी है। उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है। |
| | V | टीपर से कूड़ा उठाने | संबंधित एजेंसी से राशि वापस करने हेतु सूचना निर्गत किया गया है। |
| | 3 | सफाई कार्य में अनियमित व्यय | वर्षात के महीना मे नाले की विशेष सफाई की जाती है। इसलिए एजेंसी द्वारा अतिरिक्त कार्यबल एवं वाहन का उपयोग किये जाने के कारण मो0– 636444 /–रू0 का भुगतान का विपत्र दिया गया । जिसका जनहित में भुगतान किया गया। |
| | (i) | अंकेक्षण टिप्पणी | कार्यालय आदेश 162 / सा0 दिनांक–22.01.2013 नगर आयुक्त के आदेशानुसार एवं एकरारनामा के आधार पर 193 /–रू0 प्रतिदिन एन0जी0ओ0 को भुगतान किया गया। प्रति संलग्न है। |
| | ii | | बोर्ड की स्वीकृति के आधार पर महिला विकास संस्थान को भी कार्य सौंपा गया था। |
| | iii | | 30 /–रू0 की वसूली संबंधित एजेन्सी से कर ली गयी है। |
| | iv | | एन0जी0ओ0 को दिये गये अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। |
| | v | | नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के आधार पर ही अन्य एन0जी0ओ0 के लिए निर्धारित दर पर महिला विकास संस्थान को भी कार्य आवंटित किया गया था। नोवल्टी विकास संस्थान के अगले विपत्र में 30 /–रू0 वसूली कर ली गयी है। उक्त आलोक मे मजदूरों का भुगतान की राशि को अंकेक्षण आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है। |
| | vi | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन अंकेक्षण दल को उपलब्ध करा दिया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | सैराती की बन्दोबस्ती | (क)संबंधित बंदोवस्त धारियों से 10200/--रू0 नगर निगम कोष में जमा करा दिया गया है। (ख) संबंधित बंदोवस्त धारियों को 3प्रतिशत की स्टाम्प राशि जमा करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। |
| 5 | जलापूर्ति मद में उपभोगता शुल्क की वसूली नही होने से हानि | नगर निगम द्वारा कस्तूरबा वाटर वर्क्स शाखा के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जाती है। कुल 32891 परिवार में से मात्र 6370 परिवार को रास्टर के आधार पर जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति हेतु वार्ड स्तर पर अतिग्रस्त पाईप होने के कारण जलापूर्ति संतोषजनक नही किया जा सका जिसके कारण उपभोगता शुल्क की वसूली प्रतिवार्ड में होल्डिंग कर का मूल्यांकन का 8 प्रतिशत की वसूली की जाती है। वर्तमान में सम्पत्ति कर में एक मुस्त जलापूर्ति कनेक्शन की राशि अधिरोपित है। सम्प्रति 24 वार्ड में आंशिक रूप से जलापूर्ति बिछाने का कार्य मेसर्स जिंदल कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही शेष बचे वार्ड में पाईप लगाने एवं हर घर जल कनेक्शन देने का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद पटना के द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत किया जाना है। डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा शतप्रतिशत जलापूर्ति हो जाने के बाद उपभोगता शुल्क की वसूली की जायेगी। |
| 6 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में गैर सरकारी संस्था के भुगतान में अनियमितता | नगर विकास विभाग आवास द्वारा नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध राशि से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराया गया, वर्त्तमान में निगम द्वारा जुर्माने का प्रावधान नही किया गया है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है, उक्त प्रावधान के आलोक में नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति से जुर्माना प्रावधान किया जायेगा। |
| 7 | निगम द्वारा सेवा कर की वसूली नही करने से निगम को आर्थिक क्षति | पूर्व में किरायेदारों से सेवा कर वसूली हेतु एकरारनामा में प्रावधान नहीं किया गया था। निगम बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर सेवा कर वसूली हेतु दुकानदारो को सूचना निर्गत करा दिया जायेगा। |
| 8 | नक्शा स्वीकृति मे डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण मो0-523 लाख की हानि | नगर निगम मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक परिसर में सिर्फ एक ही भवन के नक्शा की स्वीकृति दी गयी है। नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट परमिट फीस के संबंध मे अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्रांक-2141/सा0 दिनांक-27.09.2016 एवं विभाग को पत्रांक-2296/सा0 दिनांक-13.10.2016 एवं पत्रांक-2563/सा0 दिनाक-17.11.2016 तथा पत्रांक-937/सा0 दिनांक-08.04.2017 एवं पत्रांक-1171/सा0 दिनांक-11.05.2017 एवं पत्रांक-1467/सा0 दिनांक-03.07.2017 एवं पत्रांक-1661/सा0 दिनाक-01.08.2017 तथा पत्रांक-1872/सा0 दिनाक-04.09.2017 द्वारा मार्गदर्शन की माँग की गयी है। अद्यतन मार्गदर्शन अप्राप्त है।<br>चूँकि नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत एक परिसर मे सिर्फ एक ही भवन की नक्शा की स्वीकृति दी गयी है, इसलिए अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-1722/2015-16 के कंडिका 08 की आपत्ति को निस्तारित करने की कृपा की जाए। |
| 9 | दुकान किराया की वसूली नही | पूर्व मे दुकान किराया की वसूली माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद लंबित रहने के कारण शतप्रतिशत नहीं हो रही थी। वर्तमान मे वसूली की जा रही है। नोटिश निर्गत किया गया । |
| 10 | समायोजन के पश्चात दुकान किराया की पूर्ण वसूली नहीं होने से राजस्व की हानि | पूर्व मे दुकान किराया की वसूली माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद लंबित रहने के कारण शतप्रतिशत नहीं हो रही थी। वर्तमान में वसूली की जा रही है। नोटिश निर्गत किया गया । |
| 11 | वसूली की गयी राशि निगम कोष मे जमा नही | वसूली से संबधित राशि कर संग्राहक द्वारा जमा करा दी गयी है। भविष्य में ससमय राशि जमा करने हेतु सभी संग्राहककर्त्ता को सूचना निर्गत किया गया। |
| 12 | स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में अनियमित व्यय | स्टारवं इन्टरनेशनल द्वारा तीन ट्रेडों मे परिशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था एवं उसे अग्रिम के रूप मे 2,34,800/- का भुगतान किया गया था, परंतु बीच में परिशिक्षणार्थी की उपस्थिति कम होने के कारण प्रशिक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया। |
| 13 | विद्युत विपत्र का भुगतान डीपीएम सहित करने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति | विद्युत विभाग को पुनः सूचना निर्गत किया गया है। |